संख्या-19/2018/689/12-5-2018-सा०-12/2018टीसी

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 23 मई, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अ०कृ०नि०(सा०)शि०/17/पीएमकेएसवाई-बजट/2018-19, दिनांक 05.05.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 04-यात्रा भत्ता में रू० 0.24 लाख, 08-कार्यालय व्यय में रू० 14.00 लाख, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में रू० 10.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्ष और पेट्रोल आदि की खरीद में रू० 05.00 लाख, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू० 10.00 लाख, 27-सब्सिडी में रू० 1016.25 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 113.00 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसांगिक व्यय में रू० 01.00 एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय में रू० 02.00 लाख कुल रू० 1171.49 लाख (रू० ग्यारह करोड़ इकहत्तर लाख उन्चास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) 0201-मृदा तथा जल संरक्षण योजनाएं (कें.60/रा.40-कें*रा.) योजनान्तर्गत मानक मद 27-सब्सिडी में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण, 03-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-0301-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें.60/रा.40-कें*रा.) के मानक मद 04-यात्रा भत्ता, 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई, 15-गाड़ियों का अनुरक्ष और पेट्रोल आदि की खरीद, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 27-सब्सिडी, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसांगिक व्यय एवं 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190//दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
प्रशान्त शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-19/2018/689(1)/12-5-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।